स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 मीटिंग/बलौदा बाजार/2018/आर. यू.।।। दिनांकः 12–01–2018

सिटिंग नोटिस

विषयः बलौदा बाजार जिले में अनुसूचित जनजातियों की जमीनों के क्रय– विक्रय, भू– अर्जन, विस्थापन एवं सीमेंट उद्योगों द्वारा उनकी जमीन लेने बाबत् ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक दिनांक 14.10.2017 में आप को विषय पर निर्देश किया था जिसकी जानकारी अप्राप्त है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 29–01–2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

458
17/1/18

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

सेवा में,
कलेक्टर,
जिला– बलौदा बाजार,
(छत्तीसगढ़)

OC

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website :://ncst.nic.in
Tel : 011-24657271, 011-24620638, Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777